गर्भ को किराये पर या उधार देना

अल्लाह तआला ने इन्सान को जिस प्रकृति पर पैदा किया है, उस पर क़ायम रहने में न केवल आख़िरत की निजात है बल्कि दुनिया की भी सफ़लता है। इस्लामी शरीअत चूंकि उस हस्ती की उतारी हुई है जिससने इस कायनात को वजूद प्रदान किया है और इसकी प्रकृति बनाई है, इस लिए यह शरीअत पूरी तरह मानव प्रकृति के अनुकूल है।

शैतान चूंकि इन्सानों का दुशमन है इस लिए उसका विशेष अभियान यह है कि मानव जाति को प्रकृति से विद्रोह पर उकसाया जाए और उसको उन प्राकृतिक क़ानूनों से बदगुमान कर दिया जाए जिनमें उसका हित छुपा है।

अतएव अल्लाह तआला ने शैतान के इरादों का उल्लेख करते हुए फ़रमाया हैः

''और बहका दूंगा उनको और बडी दूर की समझाता रहूंगा कि मेरा भी हुक्म मानने लगें। फिर जानवरों के कान फाड देंगे और उनको झांसा दूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत के उलट फेर में लग जाएंगे और जो कोई अल्लाह को छोड कर शैतान को अपना दोस्त बना ले बस वह खुले हुए नुक़सान में डूब गया।'' (सूरह निसाः119)

अफ़सोस कि वर्त्तमान पश्चिमी सभ्यता इस धारणा पर आधारित है कि मानव जीवन में धर्म व नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है इस लिए वह प्रकृति से बग़ावत के रास्ते पर चल रही है। निकाह के बजाए अवैध क़ानूनी रिश्ते की इजाज़त, समलेंगिग की इजाज़त, बे पर्दगी व नंगापन को मौलिक अधिकार की हैसियत देना, मानव नस्ल की पैदावार को रोकना और इस तरह के कितने ही मसाइल हैं जो पूरी तरह अल्लाह की बनाई हुई प्रकृति से टकराते हैं और उनको करना न केवल नैतिक दृष्टिकोण से बल्कि तिब्बी (चिकित्सा) पहलू से भी सख्त हानिकारक है और ला इलाज बीमारियों को पैदा करता हैं।

अल्लाह ने तमाम जानवरों व जानदारों में नस्ल को बढाने के लिए जिन्सी भावनाएं रखी हैं और उनमें इन्सान भी शामिल है लेकिन इस बारे में इन्सान को एक विशेष गौरव प्रदान किया गया है कि वह असमत व इज्ज़त का जौहर है। जिन्सी दृष्टि से पति और पत्नी की वफ़ादारी एक दूसरे तक सीमित होती है। पति व पत्नी द्वारा नस्ल की पैदाइश का सिलसिला आगे बढता है। यह मानव प्रकृति है और पहले इन्सान अबुल बशर हज़रत आदम अलैहि0 के समय से यह सिलसिला जारी है।

''ऐ इन्सानों! डरो अपने पालनहार से जिसने तुम को एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसका जोडा भी बना दिया। फिर इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत बनाकर दुनिया में फैला दिए।''

इसी से परिवार वजूद में आते हैं, मां बाप, और औलाद की पहचान बनती है और एक दूसरे से संबंधित अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण होता है। दूसरे जानदारों का कोई परिवार नहीं होता, न

उनकी कोई नस्ली पहचान होती है और न ही एक दूसरे के अधिकार और ज़िम्मेदारियों की इस तरह व्यवस्था होती है जो मानव व्यवस्था समाज में पायी जाती है। यह पहचान समाजी दृष्िअकोण से इन्सान का बहुत बड़ा गौरव है। इसी लिए अल्लाह तआला ने उसको अपने उपकारों में बताया है।

''ऐ इन्सानो! हमने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम को खानदान और क़बीले बना दिए ताकि एक दूसरे को पहचान सको।'' (सूरह हुजरात - 13)

एक और अवसर पर फ़रमाया गया हैः

''उसकी बड़ी शान है कि इन्सान को पानी से पैदा किया अैर इन्सान को खानदान वाला और सुसराल वाला बनाया।'' (सूरह फ़ुरक़ानः 54)

वर्त्तमान दौर में अल्लाह से विरक्त और नैतिकता से दूर रहने वाली सभ्यता इस बात की कोशिश कर रही है कि इन्सान जिन्सी मसाइल में पूरी तरह प्रकृति के क़ानून से आज़ाद हो जाए और अपनी पहचान खो देने में उसे कोई सांकोच न हो। ऐसी ही सूरतों में एक वह है जिसको गर्भ को किराये पर या उधार देने का नाम दिया जाता है। आज कल इसके लिए विभिन्न तरीक़े अपनाए जाते हैंः

अः वीर्य पति का हो, अंडा अजनबी औरत का हो और उसका लालन पालन स्वयं उस व्यक्ति की पत्नी के गर्भ में हो।

बः वीर्य पति का हो अंडा स्वयं उसकी पत्नी का हो। लेकिन जनीन का लालन पालन उस अजनबी औरत के गर्भ में हो।

जः वीर्य अजनबी मर्द का हो, अंडा उस औरत का हो जो अपने पति की इजाज़त से औलाद की इच्छुक हो और किसी और महिला के गर्भ में उसका लालन पालन हो।

दः वीर्य अजनबी मर्द का हो, जो औरत औलाद की इच्छुक है उसी का अंडा हो और स्वयं उसी के गर्भ में जनीन (जीर्ण) का लालन पालन हो।

इन चारों सूरतों में यह बात संयुक्त है कि या तो जो औरत मां बनना चाहती हो उसकी औलाद के लिए अजनबी मर्द का वीर्य इस्तेमाल किया जाए या अजनबी औरत का अंडा या अजनबी औरत का गर्भ, इन तमाम ही सूरतों में अनेक नैतिक और मनोवैज्ञानिक बुराइयां शामिल हैं जिनमें से कुछ ये हैः

☆ एक औरत अपने गर्भ में एक अजनबी मर्द के नुतफ़े का लालन पालन करती है, इस तरह वह अंजाम और अन्त की दृष्टि से इसी काम को करने वाली होती है जिसे कोई ज़िना करने वाली औरत करती है।

☆ यह बात इन्सानी शराफ़त के विरुद्ध है कि उसके अंगों और विशेष रूप से महिला अंगों का इस्तेमाल व्यापार की वस्तु की तरह होने लगे।

☆ इससे मातृता की पवित्रता घायल होती है और इस तरह अत्यन्त पवित्र व आदर्णीय और पाकीज़ा रिश्ता एक व्यापारिक काम की सूरत अख़्तियार कर लेता है।

☆ इससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं। जिस औरत ने नौ दस माह के गर्भ की तकलीफ़ उठायी

हो, बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे से उसकी गोद महरूम हो जाए, यह बात उसे सख़्त दुखों से दोचार कर सकती है। यहां तक कि उसके दिमाग़ पर भी प्रभाव हो सकता है।

☆ यह बात भी विचारणीय है कि मां चूंकि अपने पेट में बच्चे के लालन पालन के समय और फिर पैदाइश के दौरान असाधारण तकलीफ़ से गुज़रती है। अतएव स्वयं क़ुरआन करीम नेः ''उसकी मां ने बड़ी मुशक्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी तकलीफ़ उठायी'' (फ़ुरक़ान) के शब्दों में इसका नक़्शा खींचा है जो औरत इन कड़े हालात व कष्टों से गुज़री ही नहीं हो, क्या उसके दिल में वही दर्द मन्दाना भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो इन मरहलों से गुज़रने वाली मां के अन्दर होती हैं?

☆ जिस पति ने अपनी पत्नी के लिए किसी अजनबी मर्द के नुतफ़े को स्वीकार किया हो, क्या उसके बारे में आशा की जा सकती है कि उसके नतीजे में यदि लड़की पैदा हुई तो वह उसके साथ एक बाप जैसा व्यवहार करेगा और असमत व आबरू के पहलू से वह उस प्राकृतिक पर्दे को बाक़ी रखेगा जो एक बाप और बेटी के बीच होता है।

☆ इसकी वजह से अंडा देने वाली, गर्भ की तकलीफ़ उठाने वाली औरतों के बीच नवजात के लालन पालन के हक़ के बारे में विवाद पैदा हो सकता है बल्कि इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं।

☆ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नस्ली पहचान और वैयक्तित्व इन्सान के लिए बहुत बड़ी दौलत है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी यह पहचान खोने न पाए। पहचान का खो जाना उसके लिए अत्यन्त अपनमान की बात होती है और वह हर तरीक़े पर उसकी सुरक्षा चाहता है। इसी लिए शरीअत ने ज़िना को इतनी सख़्ती के साथ मना किया और उसके लिए सख़्त से सख़्त हद निर्धारित की है। स्वयं जिस व्यक्ति को बाप या मां के बारे में सन्देह हो कि मालूम नहीं कि मेरी मां यह है या वह है तो यह बात भी उसके लिए अत्यन्त कष्टदायक होती है। नसब की पहचान जैसे बाप से संबंधित होती है, वैसे ही मां के साथ भी उसका संबंध होता है बल्कि कुछ परिवार तो लड़का न होने की सूरत में मां की तरफ़ से ही चलते हैं।

इन तमाम ज़रूरतों व हालात को सामने रखते हुए यह अधिवेशन आम सहमति से यह फ़ैसला करता है किः

1- ठेका पर या उधार किसी औरत का अपने गर्भ में अजनबी मर्द का नुतफ़ा या दूसरे के अंडे का लालन पालन करना पूरी तरह हराम है। यह इन्सान को उसकी पहचान से वंचित रखने की एक साज़िश है और अल्लाह के क़ानून और उसके बनाए हुए प्राकृतिक क़ानून से विद्रोह है।

2- किसी मर्द के लिए यह बात पूर्णातः जायज़ नहीं कि वह अपना वीर्य किसी अजनबी औरत के गर्भ में पलने के लिए उसके अंडे से मिलाने के लिए दे।

3- डाक्टरों के लिए भी यह बात जायज़ नहीं कि वे ऐसे अनैतिक कार्य में सहयोग करें।

4- हिन्दुस्तान की हुकूमत को ऐसा क़ानून बनाना चाहिए जो मानव अपमान मानव की शराफ़त की पामाली और नसब के मेलजोल पर आधारित इस कार्य को सख़्ती से रोके।

5- देश वासियों से भी अपील की जाती है कि वे हुकूमत से इस अपमान जनक कार्य को रोकने के सिलसिले में मांग करें, क्योंकि इस तरह के अनैतिक निर्लज्जा वाले प्राकृतिक क़ानून के विरुद्ध काम की किसी भी धर्म में अनुमति नहीं।

6- इस क़ानून के अलावा भी देश के उलमा का यह नुमाइन्दा अधिवेशन हुकूमत से अपील करता है कि वह ऐसे किसी भी काम की अनुमति देने से बाज़ रहे जो धर्मों के सिद्ध नैतिक मूल्यों और हिन्दुस्तान की सांस्क्रतिक परम्पराओं के विरुद्ध हो।

☆☆☆

नोटः 23 वां फ़िक़्ही सेमिनार (जम्बोसर, गुजरात) दिनांक 28-29 रबीउस्सानी - 1 जमादिल ऊला 1435 हि0 - 1-3 मार्च 2014 ई0